प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2023

विषय: राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी 200 VT-UPR हेतु मॉडल PT6A-42 Serial No. PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवर हाल कराये जाने पर कस्टम हाउस एजेण्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक, नई दिल्ली को देय ड्यूटी इत्यादि पर होने वाले व्यय को अग्रिम के समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43/ना0उ0नि0/इंजी/(यू0पी0आर0)/06-आई/2023 दिनांक 22 मई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-92/2021/1908/ छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी 200 VT-UPR हेतु माडल PT6A-42 Serial No. PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवर हाल कराये जाने हेतु कुल रू0 2,96,02,810/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें कस्टम हाउस एजेण्ट मेसर्स जो0बी0के0 लाजिस्टिक, नई दिल्ली को देय ड्यूटी इत्यादि पर होने वाले व्यय को सम्मिलित किया गया है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनरीक्षित शासनादेश संख्या-31/2022/441/छप्पन-2022-153/2000 दिनांक 26 मार्च, 2022 के द्वारा राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी 200 VT-UPR हेतु मॉडल PT6A-42 Serial No. PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवर हाल कराये जाने हेतु मेसर्स Pratt & Whitney के बजेटरी कोटेशन के अनुसार कुल रूपये 4,57,42,198/- (रूपये चार करोड़ सत्तावन लाख बयालिस हजार एक सौ अठ्ठानबे मात्र) के व्यय की स्वीकृति (जिसमें शासनादेश संख्या-92/2021/1908/छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 01.11.2021 की धनराशि रूपये 2,96,02,810/- का समायोजन किया जाना था) प्रदान की गई थी, जिसमें कस्टम हाउस एजेण्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक, नई दिल्ली को अग्रिम के रूप में भुगतान की जा रही धनराशि रूपये 25,00,000/- भी सम्मिलित है। उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में कार्योपरान्त कस्टम हाउस एजेण्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक, नई दिल्ली द्वारा बिल नं0-JBK/DN/41 dated:12-07-2022 रूपये 32,03,655/- का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रूपये 25,00,000/- के अग्रिम के समायोजन के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 7,03,655/- (रूपये सात लाख तीन हजार छ: सौ पचपन मात्र) का भुगतान किया जाना है।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-92/2021/1908/ छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 01.11.2021 एवं पुनरीक्षित शासनादेश संख्या-31/2022/441/छप्पन-2022-153/2000 दिनांक 26 मार्च, 2022 के द्वारा राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी 200 VT-UPR हेतु मॉडल PT6A-42 Serial No. PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवर हाल कराये जाने हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी 200 VT-UPR हेतु मॉडल PT6A-42 Serial No. PCE-PJ0671 तथा एसेसरीज को ओवर हाल कराये जाने हेतु कस्टम हाउस एजेण्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक, नई दिल्ली द्वारा कस्टम ड्यूटी की मद में जमा की गयी धनराशि रूपये 32,03,655/- के सापेक्ष अग्रिम धनराशि रूपये 25,00,000/- के समायोजनोपरान्त अतिरिक्त व्यय की धनराशि रूपये 7,03,655/- (रूपये सात लाख तीन हजार छ: सौ पचपन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(15) यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(16) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत लेखा के लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04- हेलीकाप्टर / वायुयान की विशेष मरम्मत की मानक मद-42- अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-52/दस-2023-24 दिनांक 05 जुलाई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 73/2023/693(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in